कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax &☎ 05964- 225234

पत्रॉकः– 6037/12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 18 फरवरी, 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊॅ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः–जनपद–पिथौरागढ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनकोट से ब्रुशखोली (धारी धुमलाकोट) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.856 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/38290/2017)

सन्दर्भः–भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून 25 सुभाष रोड, देहरादून का पत्र सं0– 8बी0/यू0सी0पी0/06/75/2020/एफ0 सी0/1805, दि0:–25/11/2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा जनपद–पिथौरागढ़ के विकासखण्ड बेरीनाग मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनकोट से ब्रुशखोली (धारी धुमलाकोट) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.856 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध मे कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सैद्धन्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

क्र0 सं0	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्ते	कृत कार्यवाही
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदले जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदले जाएगी। संलग्न–01
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौपी जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौपी जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।
3	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.712 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम ग्वासीकोट खसरा नं0 4824 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहॉ तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लान्टेशन से बचें।	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.712 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम ग्वासीकोट खसरा नं0 4824 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहॉ तक व्यवहारिक होगा, स्थाानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल प्लान्टेशन से बचा जाएगा।

	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त की जाएगी, guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग, के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किय गये है का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	(ख) क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित भूमि को जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश सं0 1614/सात–14/2021 दि0 27.05.2021 द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण नामांकन किया जा चुका है तथा उक्त भूमि को संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। **संलग्न–04**
	(ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(ग) अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है से संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित हैं।
4	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नम्बर 556, दिनांकः– 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0, (pt.2) दिनांकः– 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0, दिनांकः– 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांकः– 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.856 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नम्बर 556, दिनांकः– 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0, (pt.2) दिनांकः– 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0, दिनांकः– 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांकः– 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.856 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। **संलग्न–06**
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। **संलग्न– 07**

5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 331 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के शख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयुक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 331 वृक्ष से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के शख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयुक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा कर दी गई है। **संलग्न– 08**
6	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकरी द्वारा सी.ए. क्षेत्र का स्वंय भ्रमण कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि क्षेत्र का घनत्व कितना है, तथा इसमें प्रति 1000 पौधे हे0 के मान से रोपित किये जा सकते है अथवा नहीं। यदि नहीं हो वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त equivalent अवनत भूमि का चयन कर राज्य सरकार द्वारा जानकारी प्रस्तुत की जाये।	वन मंडल अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर क्षेत्र की उपयुक्तता से संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न हैं। **संलग्न– 09**
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल **(https://parivesh-nic-in/)** के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधक और योजना प्राधिकरण फंड मे स्थानांतरित/जमा किये जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल **(https://parivesh-nic-in/)** के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधक और योजना प्राधिकरण फंड मे स्थानांतरित/जमा किया गया है। **चालान की प्रति संलग्न–10**
8	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के कलए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	कार्य प्रारंभ करने एवं वृक्षों के कटान के संबंध में जारी अनुमति पत्र संलग्न हैं। **संलग्न– 11**
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। **संलग्न– 12**
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदडों के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदडों के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा। **संलग्न– 13**
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साइनेज लगाये जाएगें।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साि गति विनियम साइनेज लगाये जाएगें। **संलग्न– 14**
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	परियोजना के निर्माण में पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नहीं है। **संलग्न– 15**

13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। **संलग्न– 16**
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। **संलग्न– 17**
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनों स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनों स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा। **संलग्न– 18**
16	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा। **संलग्न– 19**
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। **संलग्न– 20**
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव मे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव मे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। **संलग्न– 21**
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। **संलग्न– 22**
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या–11–42/2017–FC दिनांक 29.01. 2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिकनयम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या–11–42/2017–FC दिनांक 29.01. 2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। **संलग्न– 23**
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगीं।	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते मान्य होंगी। **संलग्न– 24**

22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रू॰ से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। **संलग्न– 25**
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रकार से लागू होते है तो उनके आधिन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंन्सी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/ नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रकार से लागू होते है तो उनके आधिन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंन्सी की जिम्मेवारी होगी। **संलग्न– 26**
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (**https://parivesh-nic-in/**) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (**https://parivesh-nic-in/**) पर अपलोड कर दी गयी है। **संलग्न– 27**

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

पत्रांकः– 6037/12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– 1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर कालोनी, देहरादनू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. अधिशासी अभियन्ता, ~~प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़~~ ब्रिडकुल पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰, पी॰आई॰यू॰, बेरीनाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

O/C